IndiaFirst
LIFE INSURANCE

Publication: Business Standard (Hindi) **Date: Friday,02nd October, 2015**

Edition: Delhi

बीमा की बिक्री करने वाले बैंक सहित एजेंट कंपनियों और कर्मचारियों की तय होगी जिम्मेदारी

जो बेचेगा बीमा उसी का होगा जिम्मा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 1 अक्टूबर

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) बीमा उत्पादों की बिक्री करने वाली एजेंट कंपनियों (बैंकों सहित) और उनके कर्मचारियों पर ही उन बीमा उत्पादों की जवाबदेही तय करने जा रहा है। आईआरडीएआई के चेयरमैन टी एस विजयन ने गुरुवार को बताया कि नियामक एजेंट कंपनियों को मध्यस्थ बनाने पर विचार करेगा, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। अभी तक वही इकाई एजेंट कंपनी कही जाती थी, जो बीमा कंपनी की ओर से उसके उत्पाद बेचा करती थी। एक बीमा अभिकर्ता विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पाद बेचता है। जहां किसी भी बीमा उत्पाद की बिक्री में बीमा ब्रोकर की पूरी जवाबदेही तय हो सकती है लेकिन इसमें एजेंट कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं बनती।

फिलहाल बीमा कंपनियों के साथ बैंकएश्योरेंस अनुबंधों के तहत बैंक ही कंपनी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। कंपनी एजेंट के तौर पर बैंकों को एक जीवन बीमा, एक गैर जीवन बीमा और एक अलग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की इजाजत है। अब उन्हें तीन जीवन बीमा, तीन गैर-जीवन बीमा और तीन अलग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को बेचने की मंजूरी मिल गई है। एसोचैम द्वारा आयोजित एक बीमा सम्मेलन में विजयन ने कहा, 'अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो आईआरडीएआई के पास स्वतः यह जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए कि बैंक (या कॉर्पोरेट एजेंसी) में किस व्यक्ति ने वह पॉलिसी बेची है। हम इसे उचित रूप से लागू करेंगे।' विजयन ने बताया कि मध्यस्थों को ग्राहकों के हित में काम करना चाहिए और उनके द्वारा की गई बिक्री के लिए उन्हें ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया, 'हमने गौर किया है कि बैंकों को उनके माध्यम से पॉलिसी खरीद बिक्री का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था। इस कमी को दूर किया जा रहा है ताकि किसी भी शिकायत की सूरत में हम बैंक से जवाब देने के लिए कह सकें।'

जहां भारतीय रिजर्व बैंक और आईआरडीएआई ने बैंकों को बीमा ब्रोकर बनने की इजाजत दी तो उनमें से कोई भी ऐसा करने को लेकर उत्सुक नहीं था क्योंकि इससे वे बिक्री वाली सभी पॉलिसी के लिए जवाबदेह बन जाते। बैंकरों ने बताया कि वे बिकी हुई पॉलिसी के लिए जवाबदेह नहीं बनना चाहते क्योंकि यह उनका मूल कारोबार नहीं है।

बीमा संशोधन विधेयक, 2015 के अनुसार 'मध्यस्थ' या 'बीमा मध्यस्थ' में बीमा ब्रोकर, पुनर्बीमा ब्रोकर, बीमा सलाहकार, एजेंट कंपनी, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेक्षक और नुकसान निर्धारक इन श्रेणियों में आते हैं। विजयन ने कहा कि अधिनियम के साथ ताल मिलाने की दिशा में ही वे एजेंट कंपनियों को जवाबदेह बना रहे हैं। इसका अर्थ यही होगा कि किसी भी बैंक द्वारा बेची जानी वाली प्रत्येक बीमा पॉलिसी उसकी जिम्मेदारी होगी और यह बैंक का दायित्व है कि कोई भी उत्पाद/पॉलिसी गलत तरीके से न बेची जाए यानी उसके सभी पहलुओं का उचित खुलासा किए बिना या गैर जरूरतमंद व्यक्ति को वह पॉलिसी न बेची जाए।

इसके साथ ही बीमा नियामक कंपनी एजेंटों (बैंकों सहित) के सीईओ और सीएफओ से एक प्रमाण पत्र भी मांगेगा कि लगातार अंतराल पर ग्राहकों को कोई भी बीमा उत्पाद जबरन नहीं बेचा गया। रिलायंस लाइफ के सीईओ अनूप राउ ने बताया कि बड़े संस्थान होने के नाते बैंकों को बिक्री के लिए जवाबदेह बनाना ही होगा। उन्होंने बताया, 'यह आईआरडीएआई का अच्छा कदम है।'

बीमा कारोबार में बैंक

एसबीआई लाइफ
- एसबीआई 74 फीसदी

आईडीबीआई फेडरल लाइफ
- आईडीबीआई बैंक 48 फीसदी
- फेडरल बैंक 26 फीसदी

स्टार यूनियन दाईची लाइफ
- बैंक ऑफ इंडिया 48 फीसदी
- यूनियन बैंक 26 फीसदी

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस
- बैंक ऑफ बड़ौदा 44 फीसदी
- आन्ध्रा बैंक 30 फीसदी

पीएनबी मेटलाइफ
- पीएनबी 30 फीसदी
- जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक 5 फीसदी

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ
- आईसीआईसीआई बैंक 73.7 फीसदी

केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ
- केनरा बैंक 51 फीसदी
- ओबीसी 23 फीसदी

अजय मोहंती

A Joint Venture of
Bank of Baroda Legal & General Andhra Bank